

## ऑनर कलिंगि पर सर्वोच्च न्यायालय का फरमान

### चर्चा में क्यों?

मंगलवार (27 मार्च, 2018) को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतहिसिकि फैसले में दो वयस्कों की शादी पर खाप पंचायतों के कसी भी प्रकार के दखल को गैर-कानूनी करार दे दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला एक एनजीओ शक्तिवाहनी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई में सुनाया। एनजीओ ने 2010 में ऑनर कलिंगि के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को सम्मान के लिये अपराधों को रोकने और नायित्रति करने की मांग की गई थी।

### तीन जजों की पीठ का फैसला

- मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मणिरा की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने खाप पंचायतों के संबंध में यह फैसला सुनाया। इस पीठ में जस्टिस एम खानवलिकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड भी शामिल थे।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अलग-अलग समुदायों से संबंध रखने वाले 2 वयस्क अपनी मर्जी से शादी का नियमन करते हैं अथवा शादी करते हैं, तो कसी रशितेदार या पंचायत को न तो उन्हें धमकाने और न ही उन पर कसी प्रकार की हस्तिका करने का कोई अधिकार है।
- खाप पंचायतों के फैसलों को अवैध करार देते हुए न्यायालय ने कहा कि ऑनर कलिंगि के संबंध में लॉ कमीशन की सफिरशिंग पर विचार किया जा रहा है। अर्थात् जब तक इस संबंध में नए कानून नहीं बन जाते हैं, तब तक मौजूदा आधार पर ही कार्रवाही की जाएगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों की रोकथाम और सजा के लिये एक गाइडलाइन जारी की है। न्यायालय के अनुसार, ये गाइडलाइन तब तक जारी रहेंगी, जब तक नया कानून लागू नहीं हो जाता है।
- वर्तमान समय में ऑनर कलिंगि के मामलों में आईपीसी की धारा के तहत, कार्रवाही की व्यवस्था है।

### गैर-जातीय विवाह को सुरक्षा देने संबंधी पक्ष

- इस याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ऑनर कलिंगि को रोकने के लिये न्यायालय से देश के सभी राज्यों के लगभग प्रत्येक ज़िले में एक स्पेशल सेल बनाने के निरिदेश जारी करने को कहा गया है।
- गैर-जातीय विवाह की स्थितिमें राज्य सरकारों द्वारा शादीशुदा जोड़े हेतु सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चिति की जानी चाहयि।
- कसी भी तरीके से यदिशादीशुदा जोड़े को धमकी दी जाती है, तो उन्हें इस संबंध में नज़दीकी मैरजि अफसरों को शकियत दर्ज करानी चाहयि, ताकि उनको सही समय पर सुरक्षा प्रदान की जा सके।

### प्रतिवेशन ऑफ कराइम इन द नेम ऑफ ऑनर बलि, 2010

#### (Prevention of Crimes in the Name of 'Honour' and Tradition Bill, 2010)

- इस बलि में कसी दंपती के विवाह को अस्वीकार करने के उद्देश्य से कसी भी समुदाय या गाँव की सभा, जैसे किखाप पंचायत के आयोजन पर प्रतिविधि लगाने की बात शामिल है।
- इसमें नवविवाहित जोड़ों के बहाषिकार पर प्रतिविधि के साथ-साथ उनकी सामाजिक-आरथकि सुरक्षा सुनिश्चिति करने जैसे पक्षों को भी शामिल किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, स्वयं को निरिदेश साबित करने का दायतिव आरोपी का होगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है।

### बलि का महत्व

- अनुच्छेद 19 और 21 के तहत, अभियक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद की स्वतंत्रता का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चिति करना।
- यह निश्चिति रूप से देश के सामाजिक-आरथकि विकास में महलियों की समान भागीदारी को सुनिश्चिति करना।

### क्या होती है खाप पंचायत?

- एक गोत्र या फरि बरिदरी के सभी गोत्र मिलिकर खाप पंचायत बनाते हैं। यह पाँच गाँवों की भी हो सकती है और 20-25 गाँवों की भी हो सकती है। जसि कषेतर में जो कोई गोत्र अधिक प्रभावशाली होता है, उसी का उस खाप पंचायत में सबसे अधिक दबदबा होता है।
- ऐसा नहीं है किंकम जनसंख्या वाले गोत्र पंचायत का हसिसा नहीं होते हैं, अंतर केवल इतना है कि इनका प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है।

- किसी भी फैसले के समय सभी गाँववालों को पंचायत में आमंत्रित किया जाता है, चाहे वे शामलि हों अथवा न हों। इसके बाद पंचायत द्वारा जो भी फैसला लिया जाता है, वह सर्वसम्मतिसे लिया गया फैसला मानकर सभी पर लागू होता है।
- ये पारंपरिक पंचायतें होती हैं, स्पष्ट है कि इन्हें किसी प्रकार की कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है।

### खाप पंचायतों का पक्ष

- रोहतक की सर्व खाप पंचायत द्वारा एक हलफनामे में खाप पंचायतों का पक्ष रखते हुए कहा गया था कि “ऑनर कलिंगि के मामलों में मुख्य अपराधी खाप प्रतनिधित्वित होते हैं बल्कि भाइले से संबंधित युगल के करीबी रशितेदार अथवा परवार के लोग ही होते हैं। वशिष्ठकर लड़की पक्ष।
- स्पष्ट रूप से यदनियायालय द्वारा खाप पंचायतों के आचरण और भूमिका को वनियमित करने संबंधी प्रयास किये भी जाते हैं, तो भी उनसे ऑनर कलिंगि की घटनाओं पर कोई वशिष्ठ असर नहीं पड़ेगा।
- खाप पंचायतों द्वारा, इस फैसले का पुरजोर वरिधि करते हुए इस संबंध में पुनर्विचार की अपील की गई है। खाप प्रधानों एवं प्रतनिधियों द्वारा कहा गया है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिये खाप एक बहुद अहम भूमिका नभित्ती है।
- खाप पंचायतें अलग-अलग जातियों, धर्मों, पंथों अथवा क्षेत्रों के लोगों द्वारा विवाह किये जाने के विरुद्ध काम नहीं करती हैं, बल्कि यह केवल सगोत्र विवाह के खलिफ हैं।
- इतना ही नहीं खाप द्वारा सगोत्र विवाह को गैर-कानूनी घोषित किये जाने के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा हादू विवाह अधिनियम, 1955 में आवश्यक संशोधन करने की भी मांग की गई थी, जो पूरण रूप से लोकतांत्रिक कानून है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/honour-killing-guillotines-liberty-sc>

